

जनपद बाराबंकी

दिनांक 28.11.2020

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा सम्पत्ति को लेकर पिता की हत्या करने वाले बेटे व बहू को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल-

सम्पत्ति के विवाद में पिता की हत्या कारित करने वाले बेटे व बहू को गिरफ्तार करने में थाना फतेहपुर पुलिस को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

मृतक-

श्रीराम निवासी ग्राम फतहापुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मनोज कुमार पुत्र स्व० श्रीराम निवासी ग्राम फतहापुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी, उम्र करीब 30 वर्ष (मजदूरी)।
2. अमिता देवी उर्फ किरन पत्नी मनोज कुमार निवासी ग्राम फतहापुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी, उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी-

1. आलाकल्ल एक अदद डण्डा
2. आलाकल्ल एक अदद चाकू

वादी श्री रणधीर सिंह (ग्राम चौकीदार) पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी ग्राम फतहापुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी ने दिनांक 26.11.2020 को थाना फतेहपुर पर लिखित सूचना दिया कि गांव के मनोज कुमार ने सम्पत्ति के विवाद को लेकर अपने पिता श्रीराम की गला रेत कर हत्या कर दी। उक्त सूचना के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु०अ०सं० 459/2020 धारा 302 भा०द०वि० बनाम मनोज कुमार पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी डॉ० अरविन्द चतुर्वेदी द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री आर०एस० गौतम के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी फतेहपुर श्री योगेन्द्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।

प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर श्री संजय मौर्य के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलन कर आज दिनांक- 28.11.2020 को अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र स्व० श्रीराम एवं विवेचना के दौरान प्रकाश में आई अभियुक्ता अमिता देवी उर्फ किरन पत्नी मनोज कुमार निवासीगण ग्राम फतहापुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी को समय करीब 09.20 बजे जरखा पुल थाना फतेहपुर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त मनोज कुमार ने पूछताछ में बताया कि वह मृतक श्रीराम का इकलौती संतान है। उसके पिता श्रीराम के पास कुल 17-18 बीघा खेत था, जिसमें से उन्होंने मनोज को जीवन निर्वाह हेतु मात्र एक बीघा खेत दिया था। मृतक श्रीराम द्वारा पूर्व में 03-04 बीघा खेत बेचा जा चुका है एवं वर्तमान में खेती पर बैंक व अन्य माध्यमों से कर्ज लेकर अनावश्यक खर्च किया जाता था। जिसको लेकर परिवार के बीच विवाद होता रहता था। मृतक के पिता श्रीराम कर्ज चुकाने के लिए खेती का कुछ और भाग बेचना चाहते थे, जिसका अभियुक्त मनोज व उसकी पत्नी द्वारा विरोध किया जा रहा था। इसी विवाद को लेकर मनोज व उसकी पत्नी द्वारा मिलकर पिता श्रीराम की गला रेत कर हत्या कर दी गई।

पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक संजय मौर्य थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी।
2. का0 रिंकू, का0 संदीप सिंह थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी।
3. का0 अर्जुन चौधरी थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी।
4. म0का0 नीतू यादव थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी।